न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी – रघुनाथ , आर० ए० एस०

तारीख रजू –06–09–2004

मुकदमा नंबर – 48/2017 (पुराना मु0नं0 130/04)

तारीख रजू 07–07–2017

उनवान

1– रमेश पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम जुवाड तहसील सवाई माधोपुर जिला स0माधोपुर

2– अम्बालाल पुत्र गंगाराम जाति बैरवा निवासी ग्राम जुवाड तहसील सवाई माधोपुर जिला स0माधोपुर

–वादीगण

बनाम

1– बाबूलाल पुत्र चतुर्भुज जाति बैरवा निवासी जुवाड तहसील सवाई माधोपुर

2– मदन पुत्र चतुर्भुज जाति बैरवा निवासी जुवाड तहसील सवाई माधोपुर

3– सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी सवाई माधोपुर

4– तहसीलदार सवाई माधोपुर

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत दुरूस्ती इन्द्राजात खातेदारी एंव स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित अभिभाषकगण

1–श्री रमेश चंद गोयल एड0 ,वकील वादीगण

2– पेरोकार सरकार –वकील प्रतिवादी नंबर 4

दिनांक : 10 –04–2019

निर्णय

प्रस्तुत वाद पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण का सजरा परिवार निम्न प्रकार है ।

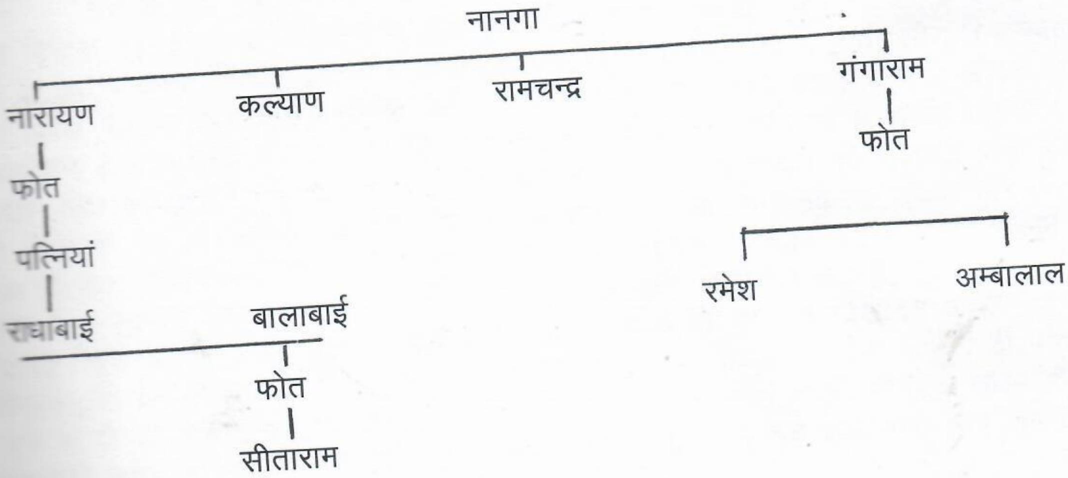

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्राथमिक डिक्री

(2)

उक्त सजरे में से नारायण ,गंगाराम ,बालाबाई का स्वर्गवास हो चुका है । शेष सभी जीवित है।

नानगा की खातेदारी की आराजीयात ग्राम जुवाड में खसरा नंबर 625/1/1, 627/1रकबा 22बीघा 8विस्वा खसरा नंबर 634/3 रकबा 9 बीघा एक विस्वा ,ख0नं0 654/2/2 रकबा 42बीघा 1विस्वा ,ख0नंबर 654/3 रकबा 5बीघा 5 विस्वा ,खसरा नंबर 634/4 रकबा 6बीघा 15 विस्वा ,ख0नं0 654/2/1 रकबा 4बीघा 10 विस्वा कुल किता 7 कुल रकबा 111बीघा जमीन थी , नानगा के स्वर्गवास के पश्चात नारायण ,कल्याण रामचन्द्र व गंगाराम के नाम इनका हिस्सा कुल आराजीयात में से प्रत्येक का 1/4 हुआ ।इस प्रकार राधाबाई व सीताराम का 1/4हिस्सा कल्याण का 1/4 हिस्सा ,रामचन्द्र का 1/4 हिस्सा ,तथा रमेश ,अम्बालाल का 1/4 हिस्सा हुआ ।

रमेश व अम्बालाल ने अपना हिस्सा 1/4 मे से खसरा नंबर 654/2/2 रकबा 42 बीघा 1 विस्वा में से उन्होने 14 बीघा जमीन की रजिस्ट्री बाबूलाल व मदनलाल प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के पक्ष में करादी ।

हाल ही में सेटलमेंट विभाग द्वारा उक्त साबिक आराजीयात के नवीन नंबर बनाये गये है । जो जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 228 में अंकित है । उसमें प्रतिवादीगण 1लगायत 2 का हिस्सा 3/4 अंकित कर दिया है । प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के नाम केवल खसरा नंबर 654/2/2 रकबा 42 बीघा 1 विस्वा में केवल 14बीघा भूमि प्रतिवादी नंबर 1 व 2 के नाम अंकित करनी चाहिए थी तथा शेष भूमि वादीगण के नाम अंकित होनी चाहिए थी , जो नही की गई है । जिसे वादीगण अपनी खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी है । उक्त जानकारी जमावंदी की नकल लेने पर प्राप्त हुई । अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 3 व 4 को निर्देशित किया जावे कि जमाबंदी में अंकित खसरा नंबर 654/2/2 में रकबा 42 बीघा 1 विस्वा में जो प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम 14 बीघा का इन्द्राज किया जाना चाहिए था ,के स्थान पर सम्पूर्ण खसरा नम्बरो में 3/4 का हिस्सा अंकित किया है, उसे नवीन जमाबंदी से हटवाया जाकर केवल 14 बीघा भूमि का इन्द्राज प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम किया जावे तथा शेष भूमि में से 14 बीघा के अतिरिक्त वादीगण के नाम 1/4 हिस्से का इन्द्राज जमाबंदी में दुरूस्त किया जावे । तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 654/2/2 का रकबा 42 बीघा 1 विस्वा में से जो 14 बीघा वादीगण ने प्रतिवादी सं0 1 व 2 को विक्रय किया गया उक्त 14 बीघा भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि पर किसी भी प्रकार से अन्य व्यक्ति के नाम अन्तरित नही किया जावे ।

प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्मन बनाम प्रतिवादीगण जारी किये गये। आदेशिका दिनांक 10–1–2018 के अनुसार प्रतिवादीगण व वकील प्रतिवादीगण न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई । साक्ष्य वादी में वादी रमेश व अम्बालाल के बयान शपथ पत्र पर पेश हुए । हमने वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी । दौराने बहस वकील वादीगण द्वारा अवगत कराया गया कि वादीगण ने विवादित आराजीयात में अपना हिस्सा 1/4 में से खसरा नंबर 654/2/2 रकबा 42 बीघा 1 विस्वा में से 14 बीघा जमीन की रजिस्ट्री प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के पक्ष में करादी गई थी ,जिसका नामान्तकरण भी नामान्तकरण संख्या 674 दिनांक 10–2–88 के द्वारा स्वीकार हो चुका है । जिसका नोट जमाबंदी सम्वत 2042–45 के खाता संख्या 232 में हो रहा है । लेकिन इसका अमल भूप्रबन्ध के बाद बनी नवीन जमाबंदी में नही हुआ है ।जमाबंदी सम्वत 2072–75के खाता संख्या 228 में प्रतिवादी संख्या एक व दो के नाम विवादित आराजीयात का 3/4 हिस्सा दर्ज कर दिया गया है जो गलत है । वादीगण द्वारा केवल 14 बीघा जमीन ही प्रतिवादी संख्या एक व दो को बेचान की गई है । इसकी पुष्टि में वादीगण द्वारा अपनी मोखिक साक्ष्य करवाई तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में जमाबंदी सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 228 वाके ग्राम जुवाड पेश

कलेक्टर
श्योपुर

की है । इस प्रकार दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर वादीगण अपने वाद पत्र को सिद्ध करने में सफल रहे है ।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेशित किया जाता है कि नामान्तकरण संख्या 774 दिनांक 10–02–88 वाके ग्राम जुवाड का अमल नवीन जमाबंदी में करते हुए प्रतिवादी संख्या 1व 2 को बेचान की गई 14 बीघा जमीन के अतिरिक्त जमाबंदी सम्वत् 2072–75 में अंकित आराजीयात वाके ग्राम जुवाड में वादीगण का हिस्सा दर्ज किया जावे ।अर्थात् प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के नाम 14 बीघा भूमि दर्ज किया जावे तथा शेष भूमि में से 1/4हिस्सा वादीगण के नाम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे ।

प्रतिवादी नंबर 1 व 2 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि 14 बीघा भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि वाके ग्राम जुवाड जो उक्त जमाबंदी में अंकित है में किसी प्रकार की मानेमजाहमत व मदाखलत नही करें ।तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 10–04–2019 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(रघुनाथ)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर